रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222265 CG-DL-E-06102020-222265

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3092]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ ASVINA 14, 1942

No. 3092]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2020

सं. 38/2015-2020

विषय : डीएफआईए के तहत आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3473(अ).—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.02 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015—20 के पैरा 4.25 में निम्नलिखित सं"गोधन करती है।

पैरा 4.25 के अंतर्गत, उप-पैरा (ग) के बाद, उप-पैरा (घ) को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:

(घ) डीएफआईए स्कीम के अंतर्गत टायरों का आयात अनुमत नहीं है।

इस अधिसूचना का प्रभावः डीएफआईए स्कीम के अंतर्गत ''टायरों'' के आयात की मनाही करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.25 के अंतर्गत नया उप–पैरा (घ) को शामिल किया गया है।

> [फा. सं. 01/94/180/436/एएम-20/पीसी-4] अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

4746 GI/2020 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2020

No. 38/2015-2020

Subject: Amendments in Foreign Trade Policy 2015-2020, related to import under DFIA Scheme-reg

S.O. 3473(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in para 4.25 of Foreign Trade Policy 2015-20.

Under para 4.25, after sub-para (c), sub-para (d) is introduced as under:

(d) Import of Tyres under DFIA Scheme is not allowed.

Effect of this Notification: A new sub-para (d) under para 4.25 of FTP 2015-20, for disallowing import of "tyres" under DFIA Scheme is introduced.

[F. No. 01/94/180/436/AM-20/PC-4]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.